



दिनांक:- 10.02.2021

प्रेस विज्ञापित

काङ्ग ब्रांच सोनमद्र व थाना म्योरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता

विगत कई माह से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद सोनमद्र व सीमावर्ती प्रान्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड व बिहार, में ट्रक की लूट करने वाले संगठित अपराधियों का गैंग सक्रिय है। अभी हाल ही में दिनांक 19.01.2021 को इनके द्वारा थाना धनन्जयगढ़ जनपद रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सरिया ले कर आ रही ट्रक सं० सीजी 29 एबी 9001 के चालक व सहचालक की हत्या कर सरिया लूट लिया गया तथा खाली ट्रक को चोपन में छोड़ दिया गया। इस सूचना पर घटना के सम्बन्ध में थाना धनन्जयगढ़ जनपद रायगढ़ छत्तीसगढ़ में मु०अ०सं० 11/2021 धारा 302,201 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है। यहा भी उल्लेखनीय है कि चालक व सहचालक जनपद सोनमद्र के बमनी थाना क्षेत्र के निवासी थे तथा (खली) ट्रक थाना चोपन में मिला था अतः घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनमद्र द्वारा अपराध शाखा के स्वाट टीम/एसओजी व सर्विलांस को रायगढ़ पुलिस के सहयोग हेतु विशिष्ट निर्देश दिये गये। इसी क्रम में डा० राजीव सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, आपरेशन सोनमद्र के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्री रामआशीष यादव क्षेत्राधिकारी दुद्धी के निर्देशन में स्वाट टीम/एसओजी/सर्विलांस तथा प्रभारी निरीक्षक म्योरपुर की संयुक्त टीम गठित की गयी। इस टीम द्वारा अथक लगन व परिश्रम से अपना आसूचना संजाल तैयार किया गया तथा दिनांक 10.02.2021 को स्वाट/सर्विलांस टीम तथा थाना म्योरपुर पुलिस को जरिये मुखबीर खास के सूचना प्राप्त हुयी कि बमनी म्योरपुर मार्ग पर पूर्वांचल ढाबे के पास ट्रक की लूट करने वाले गिरोह के लोग उपस्थित हैं तथा किसी घटना को कारित करने की फिराक में हैं, यदि जल्दी चला जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम/एसओजी/सर्विलांस प्रभारी व प्रभारी निरीक्षक म्योरपुर के नेतृत्व में बमनी म्योरपुर मार्ग पर पूर्वांचल ढाबे के आगे पुलिया के पास से मुठभेड़ के उपरान्त 03 नफर अभियुक्तों को पकड़ लिया गया।

कड़ाई से पुछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.01.2021 को जो सरिया लूट कर खली पड़ा ट्रक चोपन में खड़ा पाया गया उसे हम ही लोगो द्वारा लूटा गया था तथा उस पर लदी सरिया को हम लोगो द्वारा रास्ते में कई स्थान पर बेचा गया था जिसमें से कुछ सरिया हम लोगो द्वारा इकदरी निवासी संतोष गुप्ता को बेचा गया था तथा कुछ सरिया उसके गोदाम के पास उतार दिया था जिसे बरामद करा सकते हैं। पकड़े गये व्यक्तियों की निशानदेही इकदरी में संतोष गुप्ता के गोदाम के पास से कुल 69 बंडल सरिया बरामद किया गया जिसका कुल वजन 34 कुण्टल 62 किलो जिसकी अनुमानित कीमत दो लाख है। इस गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण निम्नवत् है:-

गिरफ्तारी का विवरण

1. विकास यादव पुत्र श्याम सुन्दर यादव नि० मुडैला तिमुहानी मडुवाडीह थाना मडुवाडीह जनपद वाराणसी।
2. आशीष विश्वकर्मा पुत्र शशि विश्वकर्मा नि० भिटारी लोहता थाना लोहता जनपद वाराणसी।
3. अविनाश सिंह पुत्र स्व० वैश्यलाल सिंह नि० भिटारी लोहता थाना लोहता जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर।
2. एक अदद खोख व 6 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।
3. दो अदद देशी तमंचा 315 बोर।
4. एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा मिस कारतूस 315 बोर।
5. 69 बंडल सरिया वजन 34 कुण्टल 62 किलो।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना म्योरपुर मे मु०अ०सं० 5/2021 धारा 307,41,411 भादवि व 3,25,27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विवेचना प्रचलित है इसके अतिरिक्त अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है।

पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्र०नि० श्री अजय सिंह थाना म्योरपुरर सोनमद्र।
02. उ०नि० श्री प्रदीप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद सोनमद्र।
03. उ०नि० सरोजमा सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद सोनमद्र।
04. उ०नि० श्री अमित त्रिपाठी एसओजी सोनमद्र।
05. हे०का० अरविन्द सिंह, हे०का० जितेन्द्र यादव, हे०का० अमर सिंह, हे०का० जगदीश मौर्या, हे०का० विरेन्द्र कुशवाहा, का० हरिकेश यादव स्वाट टीम टीम जनपद सोनमद्र।
06. का० सौरभ राय, का० प्रकाश सिंह, का० दिलीप कुमार कश्यप, का० अमित कुमार सिंह सर्विलान्स सेल अपराध शाखा सोनमद्र।
07. का० विकास सिंह, का० देवकरन राजपुत थाना म्योरपुर सोनमद्र।

इस सराहनीय कार्य को करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्द्धन हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

आपराधिक इतिहास का विवरण

1. विकास यादव पुत्र श्याम सुन्दर यादव नि० मुडैला तिमुहानी मडुवाडीह थाना मडुवाडीह जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 508/2017 धारा 302,394,411 भादवि थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
 - मु०अ०सं० 468/2017 धारा 302,394,201,411 भादवि थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
 - मु०अ०सं० 508/2017 धारा 307 भादवि थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
 - मु०अ०सं० 07/2021 धारा 379,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना मडुवाडीह जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 13/2021 धारा 323,504,506 भादवि थाना मडुवाडीह जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 11/2021 धारा 302,201 भादवि थाना धनन्जयगढ़ जनपद रायगढ़ छत्तीसगढ़।
2. आशीष विश्वकर्मा पुत्र शशि विश्वकर्मा नि० भिटारी लोहता थाना लोहता जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 291/2014 धारा 419,420,41,414,411,429 भादवि थाना सिगरा जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 292/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिगरा जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 288/2014 धारा 379,411 भादवि थाना सिगरा जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 290/2014 धारा 379,411 भादवि थाना सिगरा जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 260/2014 धारा 379,411 भादवि थाना सिगरा जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 102/2014 धारा 379,411 भादवि थाना आदमपुर जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 103/2014 धारा 379,411 भादवि थाना चौक जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 110/2014 धारा 379,411 भादवि थाना चेतगंज जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 350/2014 धारा 3(1) गैंगेस्टर थाना सिगरा जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 11/2021 धारा 302,201 भादवि थाना धनन्जयगढ़ जनपद रायगढ़ छत्तीसगढ़।
3. अविनाश सिंह पुत्र स्व०वैश्यलाल सिंह नि० भिटारी लोहता थाना लोहता जनपद वाराणसी।
 - मु०अ०सं० 375/2018 धारा 60 एक्साइज एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।